नौ साल बाद प्री मॉनसून सीज़न में एक दिन भी नहीं चली लू

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

नौ साल बाद राजधानी में प्री मॉनसून सीजन के दौरान एक भी दिन लू नहीं चली। इससे पहले 2014 में ऐसा हुआ था। हालांकि राजधानी के कुछ हिस्सों में इस साल अप्रैल और मई के दौरान लू चली, लेकिन दिल्ली के मेन स्टेशन सफदरजंग में लू दर्ज नहीं की गई। राजधानी के लिहाज से मई साल का सबसे गर्म महीना है। इस माह का औसत अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री है। लेकिन इस साल औसत अधिकतम तापमान महज 36.8 डिग्री दर्ज हुआ।

आईएमडी के साइंटिस्ट कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि आमतौर पर अप्रैल से मई के दौरान पांच से छह वेस्टर्न डिस्टरबेंस आते हैं। इस बार दस वेस्टर्न डिस्टरबेंस आए। इनमें से ज्यादातर काफी एक्टिव रहे। इनकी वजह से थोड़े-थोड़े अंतराल पर अच्छी बारिश हुई। इसी का नतीजा रहा कि राजधानी में मई के दौरान महज नौ दिन तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ। कुछ जगहों पर दो दिन लू का असर भी रहा। मई में अब तक 86.7 एमएम बारिश दर्ज हुई है। जबकि इस महीने में सामान्य बारिश महज 19.7 एमएम है। प्री मॉनसून सीजन के तीनों महीनों (मार्च से मई) में सामान्य से अधिक बारिश हुई। इस दौरान 161.2 एमएम बारिश हुई, जबकि इस पूरे सीजन में सामान्य बारिश 62.6 एमएम है। 2022 में इस सीजन के दौरान दिल्ली (सफदरजंग) में प्री मॉनसून सीजन के दौरान 13 दिन लू का प्रकोप रहा था। इसी तरह 2021 में एक दिन, 2020 में चार और 2019 में एक दिन लू रही। मई अब तक की दूसरी सबसे ठंडी मई में शामिल हुई। अब तक सबसे ठंडी मई का रेकार्ड 1987 में बना था।

मंगलवार शाम को खराब मौसम की वजह से दिल्ली आ रही 10 फ्लाइट यहां नहीं उतर सकीं। इन्हें दिल्ली एयरपोर्ट की जगह जयपुर और लखनऊ एयरपोर्ट भेजा गया। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि खराब मौसम का असर सबसे अधिक शाम 6:25 बजे से रात 8 बजे तक रहा। इस कारण 50 से अधिक फ्लाइट डिले हुई।

PTI

मंगलवार को दिल्ली के कई इलाकों में आंधी और बारिश आई

आगे कैसा रहेगा मौसम

मंगलवार को अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री रहा। वहीं न्यूनतम तापमान भी 20.7 डिग्री रहा। शाम 5.30 बजे के बाद मौसम में बदलाव हुए। करीब 40 से 50 मिनट तक कई इलाकों में तेज आंधी आई। कई जगहों पर बारिश भी हुई। बुधवार को आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। तेज आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। हवाएं 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है। अधिकतम 35 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रह सकता है। जून की शुरुआत भी हल्की बारिश और आंधी के साथ हो सकती है। अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रह सकता है। दो जून के बाद तापमान बढ़ेगा।

DU में विदेशी स्टूडेंट्स के लिए 12 जून तक मौका

■ **विस, नई दिल्ली:** डीयू में विदेशी छात्र-छात्राएं सभी अंडरग्रैजुएट कोर्सों के लिए अब 12 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टग्रैजुएट कोर्सों के लिए 30 जून तक आवेदन (fsr2023.uod.ac.in) दे सकते हैं। इन स्टूडेंट्स को सीयूईटी नहीं देना होगा, बल्कि क्वॉलिफाइंग एग्जाम की मेरिट के आधार पर एडमिशन होगा। डीयू के फॉरेन स्टूडेंट्स रजिस्ट्री ऑफिस (www.fsr.du.ac.in) से दाखिले के लिए प्रक्रिया होती है।

तमसो मा ज्योतिर्गमय

IME

Sahibabad (NCR)

Estd. 1995

IME Group of Colleges

Ghaziabad (India)

28 YEARS OF EXCELLENCE

COURSES OFFERED

MBA MCA LLB

BBA BCA BA LLB

Radhika Special Concession

upto 50%*

On All Courses on entry level Only

*T&C Apply

Mob: 9599706361 / 62 / 63 / 64 / 65

Email : ime@ime.in, admn@ime.in

www.imesahibabad.ac.in imesahibabadofficial

on Metro Route Dilshad Garden to Mohan Nagar

"पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ।"

सिसोदिया को ज़मानत देने से हाई कोर्ट ने इनकार किया

कहा, सबूतों से छेड़छाड़ से जुड़ी CBI की आशंका बेवजह नहीं

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

File Photo

■ आरोपी नेता के वकील अब जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कह रहे हैं

■ कोर्ट ने कहा कि आप नेता पर लगे आरोप आर्थिक अपराध से जुड़े हैं, जिन्हें गंभीर प्रकृति का माना जाता है

दिल्ली की 2021-22 की विवादित शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में सलाखों के पीछे कैद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने AAP के वरिष्ठ नेता की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। कारण वही दिए गए, जिन्हें आधार बनाकर निचली अदालत ने 31 मार्च को सिसोदिया की नियमित जमानत की मांग ठुकराई थी। आरोपी नेता के वकील अब जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कह रहे हैं।

जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया की याचिका ठुकराए जाने के पीछे दिए गए निचली अदालत के कारणों से सहमति जताई। माना कि आप नेता पर लगे आरोप आर्थिक अपराध से जुड़े हैं, जिन्हें गंभीर प्रकृति का माना जाता है। सीबीआई की दलीलों को आधार बनाते हुए कोर्ट ने आदेश में कहा कि आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं, जैसे कि आबकारी नीति 'साउथ ग्रुप के इशारे पर उन्हें अनुचित लाभ देने के लिए गलत इरादे से बनाई गई थी।' इस तरह की हरकत याचिकाकर्ता के कदाचार की ओर इशारा करती है, जो वास्तव में एक जनसेवक था और बेहद ऊंचे पद पर बैठा था।

हाई कोर्ट को सिसोदिया के जेल से बाहर आने पर सबूतों से छेड़छाड़ से जुड़ी सीबीआई की आशंका बेवजह नहीं लगी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने 18 विभागों के साथ उपमुख्मंत्री का पद संभाला है, वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसीलिए जमानत मिलने पर गवाहों के प्रभावित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

मौजूदा आदेश में की गई टिप्पणियों की सीमा स्पष्ट करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका पर सुनवाई में उसने न तो आबकारी नीति की जांच की और न ही आर्थिक नीति बनाने के संबंध में सरकार के अधिकार की। कोर्ट ने सरकार के प्रशासनिक फैसलों की भी जांच नहीं की है। फैसले के अहम हिस्से को भरी अदालत के सामने पढ़ते हुए जस्टिस शर्मा ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मुताबिक इस अदालत का मानना है कि याचिकाकर्ता इस स्टेज पर जमानत का हकदार नहीं है।

शराब घोटाले को लेकर BJP ने सिसोदिया पर फिर बोला हमला

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि शराब घोटाले के अंदर दिल्ली को टैक्स की क्षति पहुंचाई गई

मीनाक्षा लेखी ने कहा, जिन पर भष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी थी, वही भ्रष्टाचार करते रहे

बीजेपी ने एक बार फिर दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया पर हमला बोला है। बीजेपी नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षा लेखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक कहावत है कि अगर बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो खेत क्या करेगा। कुछ ऐसी ही कहानी दिल्ली के अंदर पिछले कुछ समय से चली आ रही है। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेदारी थी, वही भ्रष्टाचार को लगातार अंजाम देते रहे। उसी का परिणाम है कि मनीष सिसोदिया की याचिका बार-बार खारिज हो रही है। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले के अंदर दिल्ली को टैक्स की क्षति पहुंचाई गई और इस पॉलिसी को सिर्फ अपने फायदे के लिए लाया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख और दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना भी मौजूद थे।

लेखी ने कहा कि 27 मई को एक सप्लिमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें कहा गया है कि जांच में ऐसी बाते सामने आई हैं कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने होलसेलर्स के 12 फीसदी कमीशन बढ़ाने की कोई डिटेल जानकारी नहीं दी है। इसकी फाइनल रिपोर्ट जो आबकारी विभाग से मांगनी थी, उसे भी नहीं मांगा गया। लेखी ने कहा कि 5 मार्च 2021 को अर्वा गोपी कृष्णा एक्साइज कमिश्नर बने थे, उन्हें भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग में नहीं बुलाया गया। जांच के दौरान जब्त किए गए कंप्यूटर से हार्ड डिस्क ली गई, जिसमें कई खुलासे हुए। बीजेपी नेता ने कहा कि सी. अरविंद और सुनील सिंघल ने अपने बयान में कहा कि 5 फीसदी से 12 फीसदी तक होलसेलर्स को लाभ मार्जिन बढ़ाया गया और एल वन लाइसेंस का टर्नओवर 100 करोड़ से 500 करोड़ अगले पांच सालों तक के लिए बढ़ा दिया गया। उन्होंने कहा कि 20 मई और 21 मई 2021 को गौरी अपार्टमेंट में एक मीटिंग हुई, जिसमें विजय नायर, अमनदीप सिंह ढल और अर्जुन पांडेय मौजूद थे। उसमें शराब नीति में फायदा उठाने की शर्तों और उसके उपायों पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद मनीष सिसोदिया के कहने पर ही इंडोस्पिरिट कंपनी को लाइसेंस दिया गया, जिसे अर्वा गोपी कृष्णा ने अपने दिए बयान में स्वीकार किया है।

BJP विधायक महाजन को गिरफ्तार करें : AAP

सरिता सिंह ने बताया कि रोहताश नगर से बीजेपी के विधायक जितेंद्र महाजन के खिलाफ ज्योति नगर थाने में केस दर्ज किया गया है

■ **विस, नई दिल्ली : रोहताश नगर** से आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक और पार्टी के महिला मोर्चे की प्रदेश प्रभारी सरिता सिंह ने बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन की गिरफ्तारी और उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है।

मंगलवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरिता सिंह ने बताया कि रोहताश नगर से बीजेपी के विधायक जितेंद्र महाजन के खिलाफ ज्योति नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। उन आरोप है कि वह एक स्थानीय व्यापारी से दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांग रहे थे और जब व्यापारी ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो उसे डराने के लिए उन्होंने उस व्यापारी के ऊपर दिनदहाड़े गोलियां चलवाईं।

सरिता सिंह ने कहा कि बीजेपी विधायक अब एक गैंगस्टर के रूप में रोहताश नगर में काम कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। साथ ही ये घटना दिल्ली की कानून व्यवस्था का हाल भी बताती है। इस घटना के बाद से स्थानीय व्यापारियों में डर का माहौल है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से पूछा कि वह विधायक जितेंद्र महाजन को इस मामले में कब गिरफ्तार करेगी। साथ ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी पूछा है कि महाजन को कब पार्टी से बर्खास्त किया जाएगा।

IP : 4 कोर्स की काउंसलिंग के लिए 5 तक रजिस्ट्रेशन, आज से एंट्रेंस

■ **विस, नई दिल्ली :** आईपी ने अपने चार कोर्सों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन चारों में दाखिले राष्ट्रीय स्तर के टेस्ट (कैट, क्लैट, जेईई) के स्कोर के आधार पर होंगे। 5 जून तक इसमें रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। ये चार प्रोग्राम हैं – एमबीए, इंटिग्रेटेड बीए एलएलबी/बीबीए एलएलबी, एलएलएम और बीटेक। इन कोर्सों में दाखिले के लिए आवेदक 1,000 रुपये की काउंसलिंग फीस 5 ऑनलाइन जमा की जा सकती है।

ई सी जी सी ECGC

ई सी जी सी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

परिवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती (विशेषज्ञ वर्ग)

आवेदन के लिए पंजीकरण तिथि का विस्तार

ईसीजीसी लिमिटेड, जिसका मुंबई में पंजीकृत कार्यालय है, एक सार्वजनिक क्षेत्र की निर्यात ऋण बीमा कंपनी है, ने विशेषज्ञ स्ट्रीम - सीए, सीएस, कानूनी, राजभाषा, बीमांकिक पृष्ठभूमि, सांख्यिकी/गणित/अर्थशास्त्र, डेटा विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा में डिग्री में परीवीक्षाधीन अधिकारियों के पद के लिए रिक्तियों की घोषणा की थी। पंजीकरण की अंतिम तिथि **31.05.2023** से बढ़ाकर **11.06.2023** कर दी गई है। इच्छुक आवेदक कंपनी की वेबसाइट: **www.ecgc.in** पर पात्रता मानदंड और पद के लिए आवेदन करने के तरीके के विवरण के लिए जा सकते हैं।

पंजीकरण की अंतिम तिथि 11 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है। Advt No: ECGC/HO/05/23-24.

SHIRT TROUSER & JEANS SALE

upto 60% off

Formal & Party Wear

MEN & WOMEN

By Economy Sales: 9212758425

ARROW PARK AVENUE ColorPlus SMART CASUALS LOUIS PHILIPPE Levi's

• PUNCHKUIAN ROAD, Garwal Bhawan, (Near Jhandewalan, Gole Chkr.)
• WAZIRPUR A-5, Near Richi Rich Banquet (Opp. Shalimar Bagh)
• JANAKPURI B-1/2, Main Najafgarh Road, Opp. Metro Pillar 543
• NOIDA, Nirula's Sec-2, Near Metro Station, Sec-15, Noida, UP
• LAJPAT NAGAR, 49, Main Ring Road, Adj. Haldi Ram, Near Moolchand Crossing

PUBLIC NOTICE

ICICI Bank

ICICI Bank Limited

CIN.: L65190GJ1994PLC021012

Registered Office: ICICI Bank Tower, Near Chakli Circle, Old Padra Road, Vadodara 390 007

Corporate Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051 Maharashtra

NOTICE TO BONDHOLDERS

The bond indicated in the tabulation below would become due for redemption on June 29, 2023. ICICI Bank Limited has decided to dispatch redemption proceeds without requiring the surrender of the bond certificates by the bondholders. Consequently, the bondholders need not surrender the bond certificates to ICICI Bank and the bond certificates would be treated as cancelled with effect from the redemption date. The redemption proceeds would be sent to those bondholders whose names appear in the register as on the Record Date.

Bondholders may submit TDS exemption certificates or can submit Form 15G or Form 15H, if applicable to our Registrar 3i Infotech Limited, on or before the Record Date. Further, please note, with respect to the new provision of 206AB and 206CCA of Income Tax Act 1961 effective from 1st July 2021, if the PAN is appearing as that of "Specified Person" in the utility provided by the Income Tax Authorities, tax is required to be deducted/collected at the higher rate. Further also note that in absence of a valid/operative PAN, tax will be deducted at higher of the prescribed rate or 20%. In addition, Form 15G/15H will be treated as invalid in absence of valid PAN.

Bondholders are requested to notify any change in address / bank account details / PAN, to 3i Infotech Limited, Tower # 5, 3rd Floor, International Infotech Park, Vashi Railway Station Complex, Vashi, Navi Mumbai – 400 703. For any queries, please write to investor@icicibank.com or call our ICICI Bank call centre number: 1800 1080 or our Registrar – 3i Infotech : 022-7123 8034 / 022-7123 8035

TABLE 1. REDEMPTION OF ICICI BAJAJ SCOOTER BONDS- SERIES TWO

Type of Bonds	ISIN	Face Value Per Bond (Rs.)	Date of Redemption
ICICI BAJAJ SCOOTER BONDS- SERIES TWO	INE090A08TD2	25000	29-06-2023

Date : May 29, 2023
Place : Mumbai

For ICICI Bank Limited
Dinesh Chheda
Authorised Signatory

31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही एवं समाप्त वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों की विवरणी का सार

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	एकल					समेकित				
		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	
		31.03.2023 अंकेक्षित	31.12.2022 अनंकेक्षित	31.03.2022 अंकेक्षित	31.03.2023 अंकेक्षित	31.03.2022 अंकेक्षित	31.03.2023 अंकेक्षित	31.12.2022 अनंकेक्षित	31.03.2022 अंकेक्षित	31.03.2023 अंकेक्षित	31.03.2022 अंकेक्षित
1	प्रचालनों से कुल आय	1,717.43	2,272.20	1,505.76	9,316.34	8,309.22	2,028.77	2,582.76	1,674.31	10,607.40	9,144.20
2	कर पूर्व निवल लाभ (असाधारण मद पूर्व)	732.91	768.05	586.35	4,439.19	2,776.44	872.17	885.08	552.70	5,210.98	3,217.35
3	कर पूर्व निवल लाभ (असाधारण मद पश्चात)	732.91	768.05	586.35	4,439.19	2,776.44	872.17	885.08	552.70	5,210.98	3,217.35
4	निम्न को आरोप्य अवधि हेतु कर पश्चात निवल लाभ										
	- मूल कंपनी के स्वामी	569.47	781.66	560.09	3,833.79	3,537.71	643.40	671.67	467.15	3,889.98	3,523.57
	- अनियंत्रित ब्याज	-	-	-	-	-	75.78	104.32	48.75	344.76	250.76
5	निम्न को आरोप्य अवधि के लिए कुल व्यापक आय [लाभ एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात)]:										
	- मूल कंपनी के स्वामी	541.24	802.93	526.67	3,830.42	3,550.47	615.06	692.70	432.63	3,885.78	3,535.36
	- अनियंत्रित ब्याज	-	-	-	-	-	75.66	104.09	47.70	343.95	249.83
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य 10/- रुपए प्रत्येक)	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03
7	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर अन्य इक्विटि	25,362.93	26,228.00	23,441.07	25,362.93	23,441.07	26,854.31	27,645.73	24,875.95	26,854.31	24,875.95
8	निवल मूल्य	35,407.96	36,273.03	33,486.10	35,407.96	33,486.10	36,899.34	37,690.76	34,920.98	36,899.34	34,920.98
9	प्रदत्त ऋण पूंजी	30,171.63	27,577.14	28,047.72	30,171.63	28,047.72	31,557.04	28,419.82	28,113.15	31,557.04	28,113.15
10	ऋण इक्विटी अनुपात	0.85	0.76	0.84	0.85	0.84	0.86	0.75	0.81	0.86	0.81
11	प्रति शेयर आय (मूल और डायल्यूटेड) - (गैर–वार्षिकी) (अंकित मूल्य 10/- रुपए प्रत्येक)										
	- विनियामक आस्थगित लेखा शेष में गतिशीलता से पूर्व (₹ में)	0.35	1.32	0.48	3.96	4.79	0.44	1.17	0.36	3.91	4.71
	- विनियामक आस्थगित लेखा शेष में गतिशीलता के पश्चात् (₹ में)	0.57	0.78	0.56	3.82	3.52	0.64	0.67	0.47	3.87	3.51
12	पूंजी विमोचन आरक्षित	2,255.71	2,255.71	2,255.71	2,255.71	2,255.71	2,255.71	2,255.71	2,255.71	2,255.71	2,255.71
13	डिबेंचर (बॉन्ड) विमोचन आरक्षित	1,129.30	1,366.25	1,366.25	1,129.30	1,366.25	1,129.30	1,366.25	1,366.25	1,129.30	1,366.25
14	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर)	2.24	3.29	1.88	4.05	3.62	2.38	3.33	1.82	4.26	3.84
15	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात (आईएससीआर)	6.02	7.05	5.31	8.21	7.18	7.17	7.13	5.14	8.97	7.61
16	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

नोट :

1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 एवं 52 के अंतर्गत स्टॉक एक्स्चेंजेज में दाखिल वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। इन वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजेज की वेबसाइट : www.nseindia.com और www.bseindia.com पर एवं कंपनी की वेबसाइट : www.nhpcindia.com पर उपलब्ध है।
2. आवश्यक्तानुसार पिछली अवधि के आंकड़े पुनर्समूहित / पुनः व्यवस्थित / पुनः वर्गीकृत / दोहराये गए हैं।

एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता / –
(राजेन्द्र प्रसाद गोयल)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन-08645380

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 29 मई, 2023

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
सीआईएनः L40101HR1975GOI032564
सेक्टर-33, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा) भारत

महत्वपूर्ण सूचनाः शेयरधारकों से विनम्र अनुरोध है कि कंपनी से संबन्धित सभी सूचनाएँ इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्राप्त करने के लिए कृपया अपने संबन्धित Depository प्रतिभागी/कंपनी के पास अपना ई-मेल पता अपडेट कराने का कष्ट करें।

https://www.nhpcindia.com join us:

चुनौतियों को अवसरों में परिवर्तित करते हुए